



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012022-233008
CG-DL-E-31012022-233008

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 2022/माघ 11, 1943

No. 58]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 2022/ MAGHA 11, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 58(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उप धारा (2) के खंड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) संशोधन नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 में, नियम 19 में, उप नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(6) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि केंद्रीय सरकार प्रबंध निदेशक की सेवा और कार्यकाल को साठ वर्ष की आयु से आगे बढ़ाती है, तो वह उसके इस प्रकार बढ़ाए गए कार्यकाल की समाप्ति तक, या केंद्रीय सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सेवानिवृत्त नहीं होगा।”

[फा. सं. एस-11012/02/2021-बीमा.1]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) की अधिसूचना में तारीख 23 जुलाई, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 481(अ.) तारीख 7 जुलाई, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2022

G.S.R. 58(E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Staff) Amendment Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960, in rule 19, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(6) Notwithstanding anything contained in these rules, if the Central Government extends the service and term of office of a Managing Director beyond sixty years of age, he shall not superannuate till the expiry of his term so extended or until further order of the Central Government, whichever is earlier.”.

[F. No. S-11012/02/2021-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification dated the 23rd July, 1960, and was last amended *vide* number G.S.R. 481(E), dated the 7th July, 2021.